(प्रथम सूचना रिपोर्ट)
दं0प्र0सं0 की धारा 154 के अन्तर्गत

1. जिला : **पंचकूला,** थाना : **राज्य चौकसी ब्यूरो, पंचकूला,** वर्ष : **2015,** प्र0सु0रि0स0 : **03**
   दिनांक : **08.04.2015**
2. धारा **406, 409, 420, 467, 468, 471, 120 बी0 भा0दं0सं0 व 13 (1)डी0, पी0सी0 एक्ट 1988**
3. (क) अपराध की घटना : **वर्ष 2007**
   (ख) थाने में सूचना प्राप्त होने की तारीख : **दिनांक 08.04.2015 समय 3:30 पी0एम0।**
   (ग) रोजनामचा रिपोर्ट क्रम संख्या : **08**
4. सूचना का प्रकार : **लिखित।**
5. घटनास्थल : (क) थाना से दिशा एंव दूरी : **पूर्व–दक्षिण दिशा में Ynr. करीब 110 कि0मी0।**
6. शिकायतकर्ता/सूचनादाता :
   नाम : **निरीक्षक सुरेश कुमार।**
   पिता का नाम :
   राष्ट्रीयता : **भारतीय।**
   व्यवसाय : **सरकारी नौकरी।**
   पता : **थाना राज्य चौकसी ब्यूरों, सैक्टर–17, पंचकूला।**
9. ज्ञात/संदिग्ध/अज्ञात अभियुक्तों का पूरा विवरण : **श्री विजय जैन अधीक्षक अभियन्ता, श्री अशोक राय नागपाल कार्यकारी अभियन्ता, श्री एस0एन0 भारद्वाज कार्यकारी अभियन्ता, श्री बलवन्त सिंह सिंह एस0डी0ओ0, श्री शेर सिंह उप मंडल अभियन्ता, श्री गुलशन चौपडा कनिष्ठ अभियन्ता, श्री राजेश चौपडा एस0डी0ओ0 विजिलैंस, श्री वी0के0 चौधरी कार्यकारी अभियन्ता विजिलैंस सिंचाई विभाग यमुनानगर, श्री गुरमीत सिंह लेखाकार व मैसर्ज कृष्ण चन्द्र ठेकेदार एस0सी0ओ0–55, सैक्टर–7 कुरुक्षेत्र।**
10. लिंग : **पुरूष।**
    भाषा :
11. सूचनादाता द्वारा देरी से सूचना दिये जाने का कारण : **कोई देरी नहीं।**
12. प्रथम सूचना रिपोर्ट का विवरण :– **सेवा में, प्रबन्धक थाना, राज्य चौकसी ब्यूरों, सैक्टर–17, पंचकूला। श्रीमान जी, निवेदन है कि जांच कमांक 2 दिनांक 29.12.2010 युमनानगर, आसुचना रिपोर्ट के आधार पर, मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार चौकसी विभाग के यादि कमांक 46/53/2010–4 चौ0–11 दिनांक 14.12.10 के अनुसार दर्ज रजिस्टर होकर महानिदेशक, राज्य चौकसी ब्यूरों, हरियाणा, पंचकुला के कार्यालय के कमांक 17590 दिनांक 29.12.2010 के द्वारा पड़ताल हेतू सुरेश कुमार निरीक्षक राज्य चौकसी ब्यूरों, हरियाणा, पंचकूला को सौंपी गई थी। जो शिकायत में आरोप था कि वर्ष 2007 में सरकार से सिचाई विभाग युमनानगर मे आवर्धन नहर नजदीक हमीदा में पुल का कार्य करने के लिये 1.50 लाख रुपयें प्राप्त होने पर**

पुल का कार्य मै0 कृष्ण चन्द ठेकेदार, एस.सी.ओ. न0 55 सैक्टर–7, कुरुक्षेत्र को श्री नागपाल कार्यकारी अभियन्ता के द्वारा टैण्डंरो के आधार पर अलाट करके, शेर सिह,एस0डी0ओ0 व गुलशन चोपडा जे0ई0 की देख रेख में करवाया गया था। इस कार्य पर कम व घटिया सिमेन्ट, पीली ईन्टें तथा घटिया लोहे के गेट के अधिक राशी के बिल बनाकर सरकार को लाखों रुपयें का चूना लगाया गया है। इस पुल का कार्य अगस्त 2008 में समाप्त हुआ था । पुल में दरारे आ गई है व कई जगह से टूट चुका है। जो इस आरोप की पडताल पर पाया गया था कि प्रमुख अभियन्ता सिचाई विभाग हरियाणा के द्वारा दिनाक 04.05.2007 को मुख्य अभियन्ता, जल सेवाएं को निर्देश दिया गया था कि हैड रगुलेटर ओगमैन्टेशन आर0डी0 68036 पर तीन कार्य करने अनिवार्य है, जैसा कि पोंड लेवल को कम करने के लिये आर0डी0 59000 व 32600 के अतिरिक्त डब्ल्यू.जे.सी.एम.एल.एल. पर हैड लैस फिटिंग के लिये अतिरिक्त वेज बनाये जाये तथा इस कार्य के डिजाईन अनुमान व टैण्डर शीघ्र पूर्ण किये जावे तथा हैड रगुलेटर ओगमैन्टेशन की चौडाई का डिजाईन सी.डी.ओ. के द्वारा मई मास के अन्त तक पूरा किया जाना चाहिये। इन आदेशों की पालना में श्री विजय जैन अधीक्षक अभियन्ता, हथनी कुण्ड बैराज, सर्कल जगाधरी, द्वारा एस.ई./सी0डी0ओ0 पंचकुला को पत्र दिनांक 22.07.2007 के द्वारा फील्ड डाटा प्रस्तुत किया गया। जिस पर सिंचाई विभाग की डिजाईन शाखा के श्री राकेश सूद एस.डी.ओ. अब कार्यकारी अभियन्ता, श्री विरेन्द्र मल्होत्रा एस.डी.ओ. अब कार्यकारी अभियन्ता, श्री एम0क0 कोछड़ कार्यकारी अभियन्ता, सेवा निवृत, श्री हरीश चन्द्र अधीक्षक अभियन्ता सी.डी.ओ. सेवा निवृत के द्वारा डिजाईन तैयार करके, श्री आर.के. दिवान मुख्य अभियन्ता जल सेवायें ,सिंचाई विभाग को प्रस्तुत किया गया। जिसकी अनुमति के उपरान्त डिजाईन अधीक्षक अभियन्ता हथनी कुण्ड बैराज जल सेवायें जगाधरी को भेज दिया गया। इस कार्य का अनुबन्ध श्री अशोक राय नागपाल कार्यकारी अभियन्ता, वाटर सर्विस, दादुपुर द्वारा दिनांक 02.03.2008 को मै0 कुष्ण चन्द ठेकेदार के साथ किया गया। जो यह कार्य श्री वी.के. जैन, अधीक्षक अभियन्ता, श्री बलवन्त सिह एस.डी.ओ. श्री राजेश चौपडा एस.डी.ओ. विजिलैंस सिंचाई विभाग व श्री वी.के. चौधरी कार्यकारी अभियन्ता चौकसी मण्डल करनाल द्वारा पूर्ण निरिक्षण उपरान्त अपनी देख–रेख में शुरु करवाकर, नवम्बर 2008 में पूरा किया गया। जिसके बाद यह पुल 10 जून 2009 (सात माह में) को टूट गया। इस सम्बन्ध में 6 सदस्यों की विभागीय कमेटी का गठन हुआ। जो इस कमेटी की रिपोर्ट पर विभाग ने मामला आई.आई.टी. रुडकी को पुल के फेल होने की जाचं करवाने हेतू भेजा, जो आई. आई.टी. रुडकी द्वारा इस सम्बध मे माह अगस्त 2009 मे अपनी रिपोर्ट उपलब्ध करवाई गई। जिसकी रिपोर्ट में फेलियर का कारण पाईपिंग दर्शाया गया। आई.आई.टी. रुडकी से प्राप्त रिपोर्ट अनुसार विभाग के द्वारा कार्य मे कमी का पता लगाने व जिम्मेवारी ठहराने के लिये पिन–पुवाईंट हेतू 20 अगस्त 2010 को सैन्टर वाटर एवं पावर रिर्सच स्टेशन (सी.डब्लयू.पी.आर.एस.) की टीम से निरीक्षण करवाया गया, जिनकी रिपोर्ट अनुसार पाया गया कि मिटटी को कम कम्पैक्ट किये जाने के कारण फांउडैशन से मिटटी खिसकनी सामने आई, जिसके कारण पाईपिंग हुई व नवनिर्मित ढाचां पुर्णतया नष्ट हो गया/बैठ गया, जिसके लिये श्री गुलशन चौपडा कनिष्ट अभियन्ता, श्री बलवान सिह एस.डी.ओ, श्री अशोक राय नागपाल कार्याकारी अभियन्ता, श्री वी.के. जैन कार्याकारी अभियन्ता हाल मुख्य अभियन्ता, मैसर्ज कृष्ण चन्द ठेकेदार, राजेश चौपडा, एस.डी. ओ. विजिलैस, श्री वी.के. चौधरी कार्यकारी अभियन्ता विजिलैस सिंचाई विभाग युमनानगर पुर्णतया जिम्मेवार होने पाये गये। कार्यकारी अभियन्ता राज्य चौक्सी ब्यूरों, हरियाणा, पंचकुला की तकनीकी रिपोर्ट के अनुसार निर्माण कार्य में 196 बैग सिमेन्ट कम लगने पाये गये है। जिसकी किमत 225/रुपयें प्रति बैग के हिसाब से 44,100 रुपये व पैनल रैंट अनुसार कुल 88,200/रुपये बनती है। मुल्यांकन रिपोर्ट के अनुसार इस निर्माण कार्य पर कुल 1,34,96,217 रुपये खर्च किये जाने पाये गये है। दौराने जांच यह भी पाया गया है कि रगुलेटर ओगमैन्टेशन के लिये लोहे इत्यादि के गेट आदि का सामान अभी भी विभाग के पास मौजूद हैं।

जिसकी कीमत कुल 49,29,600 रुपये बनती है, को कुल खर्च मे से घटाने पर कुल 85,66,617 रुपये सरकारी कोष का दुरुप्रयोग किया जाना पाया गया है। इन परिस्थितियों मे आई0आई0टी0 रुडकी व सैन्टर वाटर एवं पावर रिर्सच स्टेशन, पुणे की रिपोर्ट को मध्यनजर रखते हुए निर्माण के दौरान हुई कमियों के कारण ढांचा गिरा/फेल हुआ है। जिसके लिये श्री विजय जैन अधीक्षक अभियन्ता, श्री अशोक राय नागपाल कार्यकारी अभियन्ता, श्री एस.एन. भारद्धाज कार्यकारी अभियन्ता, श्री बलवन्त सिह एस.डी.ओ. श्री शेर सिहं उप मण्डल अभियन्ता, श्री गुलशन चौपडा कनिष्ट अभियन्ता, श्री राजेश चोपडा, एस.डी.ओं. विजिलैस, श्री वी.के. चौधरी कार्याकारी अभियन्ता विजिलैस सिंचाई विभाग युमनानगर, श्री गुरमीत सिह लेखाकार से उपरोक्त राशी का कुल 85,66,617 रु0 का 50 प्रतिशत हिस्सा वसूल करने व मैसर्ज कृष्ण चन्द ठेकेदार, एस. सी.ओ. न0 55 सैक्टर–7 कुरुक्षेत्र से उपरोक्त राशी का बकाया 50 प्रतिशत हिस्सा वसूल किये जाने का व फर्म को ब्लैक लिस्ट किये जाने का सुझाव दिया गया था। जो जांच की अन्तिम रिपोर्ट तैयार करके, रिपोर्ट महानिदेशक, राज्य चौकसी ब्यूरों, हरियाणा, पंचकूला के कमांक 945 दिनांक 22.01.2014 के द्वारा व कमांक 13640 दिनांक 13.10.2014 के द्वारा मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार चौक्सी विभाग चण्डीगढ़ को भेजी गई थी, जो अब मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार चौकसी विभाग के आदेश कमांक 46/53/10–4 चौ0 (11) दिनांक 04.03.2015 के द्वारा पाया गया है कि लोहे के गेट की कीमत 49,29,600 रु0 है। जो यह गेट वर्ष 2009 से बेकार पडा है। इसलिये इसकी कीमत 10.5 लाख रुपये बनती है। जो मूल कीमत मे से घटाकर गेट की कीमत 38,79,600 रुपये व मैट्रिरियल की कीमत 85,66,617 रुपये कुल राशी 1,24,46,217 रुपये की राशी को वसूल करने का व दोषी अधिकारियो/कर्मचारियो व ठेकेदार के विरुद्ध भ्रष्टाचार अधिनियम 1988 तथा आई.पी.सी. की धाराओं के तहत अपराधिक अभियोग दर्ज करने के आदेश प्राप्त होने पर, महानिदेशक राज्य चौक्सी ब्यूरो हरियाणा पंचकुला के आदेश कमांक 3407/1–1 दिनांक 09.03.2015 के द्वारा व प्रवर पुलिस अधिक्षक राज्य चौकसी ब्यूरों के आदेश के अनुसार मुकदमा दर्ज करने के आदेश प्राप्त होने पर ,उक्त सर्व श्री विजय जैन अधीक्षक अभियन्ता, श्री अशोक राय नागपाल कार्याकारी अभियन्ता, श्री एस.एन. भारद्धाज कार्याकारी अभियन्ता, श्री बलवन्त सिह एस.डी.ओ. श्री शेर सिहं उप मण्डल अभियन्ता, श्री गुलशन चौपडा कनिष्ट अभियन्ता, श्री राजेश चौपडा, एस.डी.ओ. विजिलैस, श्री वी.के. चौधरी कार्याकारी अभियन्ता विजिलैस सिंचाई विभाग युमनानगर, श्री गुरमीत सिह लेखाकार व मैसर्ज कृष्ण चन्द ठेकेदार, एस.सी.ओ. न0 55 सैक्टर–7 कुरुक्षेत्र के विरुद्ध जेर धारा 406, 409, 420, 467, 468, 471,120 बी0, भा0दं0सं0 व धारा 13(1)डी0, भ्रष्टाचार उन्मुलन अधिनियम 1988 के तहत मुकदमा दर्ज रजिस्टर करने के आदेश प्राप्त होने पर, तहरीर हजा तैयार करके अनुरोध है कि उक्त सभी के विरुद्ध उक्त धराओं के तहत मुकदमा दर्ज रजिस्टर किया जावे। अगर दौराने तफतीश किसी अन्य की मिलि–भगत हो तो उसे भी तफतीश के दौरान देख लिया जावे। हस्ताक्षर– सुरेश कुमार निरीक्षक, राज्य चौकसी ब्यूरों, सैक्टर–17, पंचकूला। अज थाना :– उपरोक्त लेख पर अभियोग अंकित करके नकूलात एफ0आई0आर0 ईलाका मैजिस्ट्रेट यमुनानगर व उच्च अधिकारियों की सेवा में बजरिया डाक भेजी जा रही है व असल तहरीर मय नकल मिसल पुलिस तफतीश हेतू निरीक्षक सुशील कुमार के हवालें की जावेगी।

13. अनुसंधान अधिकारी :– सुशील कुमार निरीक्षक, थाना राज्य चौकसी ब्यूरों, पंचकूला।
ईलाका मैजीस्ट्रेट यमुनानगर।
बजरिया डाक।

हस्ता :
एस0आई0 रमेश चन्द्र, 446/सोनीपत,
थाना राज्य चौकसी ब्यूरों, पंचकूला।
दिनांक 08.04.2015